भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 508
29 नवंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: फलों और सब्जियों के लिए ग्राहक के रुपये में से किसानों का हिस्सा

508 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कई कार्यपत्रों की एक श्रृंखला से यह पता चलता है कि किसानों को फलों और सब्जियों के बाजार में ग्राहक के रुपए का काफी कम हिस्सा मिलता है, जबकि बिचौलिए और खुदरा विक्रेता काफी मुनाफा कमाते हैं;

(ख) यदि हां, तो किसानों की उपज की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार की किसानों की उपज की सीधी बिक्री सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाने या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) ढांचे का उपयोग करने की मंशा है?

उत्तर
कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कार्यपत्र जिसका शीर्षक है "भारत में सब्जियों की मुद्रास्फीति: टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) एक अध्ययन" में अनुमान लगाया गया है कि ग्राहक के रुपये में किसानों की हिस्सेदारी टमाटर के लिए लगभग 33%, प्याज के लिए 36% और आलू के लिए 37% है। आरबीआई के एक अन्य कार्यपत्र "भारत में फलों का गतिशील मूल्य और मूल्य श्रृंखला" में, घरेलू मूल्य श्रृंखला में ग्राहक के रुपये में किसानों की हिस्सेदारी केले के लिए लगभग 31%, अंगूर के लिए 35% और आम के लिए 43% अनुमानित है। विपणन चैनलों की संख्या, उच्च विपणन लागत एवं मुनाफा और अधिक नाशवान प्रकृति जैसे कारक किसानों द्वारा मूल्य प्राप्ति को प्रभावित करते हैं।

उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ, सरकार की प्राथमिकता कृषि उपज के विपणन में सुधार और किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु फसलोपरांत हानि को कम करने के लिए विभिन्न उपाय करना है। यद्यपि यह राज्य का विषय है, फिर भी सरकार राज्य सरकार के विपणन कानूनों और नीतियों में सुधार के माध्यम से किसानों के लिए सुलभ प्रतिस्पर्धी बाजारों जैसे प्रत्यक्ष विपणन, निजी बाजार इत्यादि के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करती है।

सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) का शुभारंभ किया, ताकि किसान विभिन्न बाजारों तक इलेक्ट्रानिक पहुंच के माध्यम से पारदर्शी तरीके से अपनी उपज की बिक्री अधिक खरीददारों को कर सकें। इसके अतिरिक्त, किसानों, विशेषत: छोटे और सीमांत किसानों की विपणन चुनौतियों के समाधान के उपाय के रूप में, सरकार ने 2020 में बाजार लिंकेज दृष्टिकोण आधारित 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन योजना का शुभारंभ किया।

सरकार 1,00,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र की योजना, कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) को भी कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य ब्याज छूट और वित्तीय सहायता के माध्यम से भंडारण सुविधा और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों सहित फसलोपरांत बाजार अवसंरचना के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम-दीर्घकालिक ऋण सुविधा प्रदान करना है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम) की एक उप-योजना, कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) को कार्यान्वित कर रही है, जिसके तहत राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए गोदामों/वेयरहाउसों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, सरकार पात्र लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर परियोजना की पूंजीगत लागत पर 25% और 33.33% की दर से सब्सिडी प्रदान करती है।

ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत, सरकार किसानों की उपज का मूल्य प्राप्ति बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि और फसलोपरांत हानि को कम करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना की दीर्घकालिक पद्धतियों के तहत, सरकार सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना की लागत पर 35% की दर से और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना की लागत पर 50% की दर से और साथ ही एससी/एसटी, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं के तहत प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम 15 करोड़ रुपये और स्टैंडअलोन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के तहत प्रत्येक परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता उपलब्ध है।

(ग): ओएनडीसी ने एक डिजिटल मार्केट प्लेस की स्थापना की है, जो सरकारी और निजी उद्यमों द्वारा स्थापित विविध खरीद इंटरफेस द्वारा डिजिटल उपभोक्ताओं के एक सामान्य पूल के लिए विविध उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है और इसे लेन-देन योग्य बनाता है। यह वर्तमान में प्रचलित संकुचित डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिजिटल बाजार को लोकतांत्रिक/लोकप्रिय बनाने में सहायता करेगी। यह नेटवर्क किसानों को ग्राहकों तथा खुदरा बिक्रेताओं तक पहुंच प्रदान करके उनके उत्पादों की बिक्री को सक्षम कर सकता है। इसमें बिचौलियों की संख्या को कम करने की क्षमता है, जिससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो।

इसके अतिरिक्त, ओएनडीसी छोटे और सीमांत किसानों के लिए समान अवसर प्रदान कर सकता है। पारंपरिक मंडी प्रणाली या स्थानीय बाजारों के अतिरिक्त विभिन्न विपणन प्लेटफार्मों पर एफपीओ को पहुँच प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुँच सकें और विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें। वर्तमान में, ओएनडीसी, जीईएम और ई-एनएएम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म एफपीओ और किसानों के लिए उपलब्ध हैं। 31 अक्टूबर 2024 तक, 25,790 से अधिक उत्पादों के साथ 7,901 एफपीओ को ओएनडीसी पोर्टल पर शामिल किया गया है। जीईएम पोर्टल पर एफपीओ उत्पादों की कुल 230 श्रेणियों को मैप किया गया है, जिसमें 216 एफपीओ ने अपने उत्पाद प्रस्तुत किए हैं।

*****